

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला

भिण्ड मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 229/12

संस्थापित दिनांक 03/05/12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. वनवारीलाल पुत्र सीताराम शर्मा आयु—35
साल निवासी पिपरसाना, थाना, गोहद, जिला
भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 24/11/14 को घोषित किया)

1. आरोपी पर भारतीय दंड विधान की धारा 294, 324, 506बी के अंतर्गत यह आरोप है कि दिनांक 07/04/12 के शाम 5:00 बजे फरियादी को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विचारण के दौरान आरोपीगण व फरियादी के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी गोविंद कटारे ने पुलिस थाना गोहद में मय अपने भाई दीपू कटारे के साथ दिनांक 07/04/12 के 19:00 बजे उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि शाम 7:00 बजे का समय है वह अपने खेत खब्ब वाला खेत गेहू के पास खड़ा था तभी उसके गांव का वनवारीलाल शर्मा अपनी भैसों को चराकर वापस घर ला रहा था उसकी भैस उसके गेहू के खेत में घुस गई उसने कहा कि भैस खेत में क्यों घुसा दी है इसी बात पर वनवारी ने कहा कि मादरचोद बताता हूँ और उसके पास आकर हाथ में लिये हुये

फर्से को उसके मारा जो उसके सिर में बाईं तरफ लगा चोट होकर खून बहना लगा वह चिल्लाया तो नाथूरामपाल व देवकीनंद आ गये जिन्होंने घटना देखी है जाते समय कह रहे थे कि आज तो बच गया आईन्दा जान से खत्म कर दूँगा।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क0 77/12 पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया व संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 294, 324, 506बी के अंतर्गत आरोप विरचित कर आरोपी को सुनाये व समझाये गये तो उसने आरोपित आरोप करने से इंकार किया तथा विचारण चाहा। प्ली दर्ज की गई।

6. प्रकरण में आरोपी व फरियादी के मध्य आपसी राजीनामा किया जाने के कारण आरोपीगण को भा0द0वि0की धारा 294 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया गया जबकि शेष धारा324/34 शमन योग्य अपराध न होने से उसमें विचारण यथावत जारी रहा।

7. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

क्या आरोपीगण ने फरियादी की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की?

सकारण निष्कर्ष

8. देवकीनंदन आ0सा01 के द्वारा घटित घटना से अनभिज्ञता जाहिर की है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन घटनाक्रम का समर्थन नहीं किया है। साक्षी आहत गोविंद कटारे के पिता के साथ न्यायालय में उप0हुआ है जिससे विदित होता है कि साक्षी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये हैं।

9. प्रकरण में आहत गोविंद कटारे के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। उक्त साक्षी भी विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उसे न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया जा सका। साक्षी गोविंद कटारे के पिता राजकुमार के द्वारा आरोपी से आपसी राजीनामा कर आपसी राजीनामा के आधार पर प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया है। राजकुमार मृतक गोविंद कटारे का पिता होकर उसका विदिक संरक्षक है ऐसी स्थिति में शमन योग्य अपराधों में आपसी समझौता आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त आरोपों में आरोपी को दोषमुक्त किया जा चुका

है। प्रकरण में देवकीनंदन आ०सा०१ घटनाका चक्षुदर्शी साक्षी होकर महत्वपूर्ण साक्षी है जिसके द्वारा घटित घटना से अनभिज्ञता जाहिर की है। प्रकरण में गोविंद कटारे के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। साक्षी देवकीनंदन के द्वारा घटित घटना का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है।

10. प्रकरण में मामले को प्रमाणित कराने का भार अभियोजन पर था लेकिन अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी के कथनों से अभियोजन घटनाक्रम पूर्णतः अप्रमाणित है। आहत की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रकरण में आपसी राजीनामा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटनाक्रम लेसमात्र भी प्रमाणित नहीं होता है।

11. प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा०द०वि०की धारा 324 के अपराधपूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है। अतः आरोपी को भा०द०वि०की धारा 324 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते हैं।

12. प्रकरण में निराकण हेतु मुददेमाल नहीं है।

13. प्रकरण में धारा 428 द०प्र०स का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

14. प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में याचिका दायर की जाती है और अपीलीय न्यायालय आरोपीगण को आहूत करता है तो आरोपीगण माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थित रहे इस संबंध में धारा 437ए द०प्र०स०केतहत 10 हजाररुपये जमानत व इतनी ही राशि के बंधपत्र आरोपीगण से लिये जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता०सही
जे०एम०एफ०सी०गोहद
जिला भिण्ड

हस्ता०सही
जे०एम०एफ०सी०गोहद
जिला भिण्ड